

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-147/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० हरि ओम सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विक्रम, पटना के दिनांक-01.09.2023 से 14.11.2023 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2111(25), दिनांक-06.10.2025 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 236 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-01.09.2023 से 28.10.2023 तक - कुल-58 (अन्ठावन) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-29.10.2023 से 14.11.2023 तक - कुल-17 (सत्रह) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

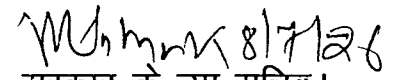
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-147/2025- 1520(2) पटना, दिनांक 8/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विक्रम, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० हरि ओम सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विक्रम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
E